

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
फतेहपुर

पत्र सं० 1752 / C-5

दिनांक-09 / 08 / 2021

सेवा में,

इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड,  
आई०जी०एल० भवन, प्लॉट सं०-4, कम्युनिटी सेंटर, आर०के० पुरम,  
सेक्टर-9 नई दिल्ली। 110022

विषय :- भोगनीपुर घाटमपुर चौडगरा मार्ग (एस०एच०-46) एवं जे०ए०सी०जे०जे० मार्ग (एम०डी०आर०) में स्टील गैस पाइप लाइन बिछाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक-IGL/Steel/Kanpur/DD/21-22/05 दिनांक-19.07.2021

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयगत मार्गों के किनारे स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु डी०डी० विधि द्वारा कुल 89 गड़दों (200-200 मी० की दूरी पर) की कटिंग चार्ज रु०-73,24,350.00 (तिहत्तर लाख चौबीस हजार तीन सौ पचास रुपये मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट सं०-990077 दिनांक-14.07.2021 अधिशाषी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, फतेहपुर के नाम खण्डीय कार्यालय में जमा कर दिया गया है, जिसके कम में उपरोक्त मार्गों के किनारे स्टील गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

- 1- मार्ग के लेपित सतह को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त न किया जाय।
- 2- भोगनीपुर घाटमपुर चौडगरा मार्ग (एस०एच०-46) हेतु वर्तमान मार्ग के मध्य से 15.00 मी० एवं जहानाबाद अमौली चौदपुर जाफरगंज जोनिहा मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग सं०-35) हेतु वर्तमान मार्ग के मध्य से 7.00 मी० दूर कच्चे भाग (मिट्टी) पर ही खुदाई/पाइप डालने का कार्य रोड सतह से 1.50 मी० नीचे ही किया जाय।
- 3- पाइप बिछाने के पश्चात् सतह को पुनः पूर्व अवस्था में कर यातायात योग्य कर दिया जाये, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो।
- 4- रोड कटिंग का कार्य कराते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड, बैरीकेटिंग व रात्रि में हार्डलोडन लगाकर कार्य कराये।
- 5- यातायात में किसी भी प्रकार की बाधाएँ न उत्पन्न की जाय।
- 6- उक्त शर्तों में किसी भी प्रकार के उल्लंघन की दशा में तथा अनुमति प्रदान किये जाने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर ही उपरोक्त कार्य समाप्त कर लिया जाये, अन्यथा अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। समयावधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त आपको अलग से अनुमति हेतु इस कार्यालय को सूचित किया जायेगा।

(अनिल कुमार शील)

अधिशाषी अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,

फतेहपुर

पत्रांक...../...../.....

दिनांक...../...../.....

- प्रतिलिपि :- 1- सहायक अभियन्ता (तृतीय), निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि०, फतेहपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- इस खण्ड के अवर अभियन्ता (प्रा०) को।